30/7/17
5745

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
Sri Dev Suman Uttarakhand University Badshahithall Tehri Garhwal (Uttarakhand) -249 199
Tel.: 01376-254065 (O)
Fax : 01376-254065
Website: www.sdsuv.ac.in

Ref. no. 1051 /Confidential/SDSUV/2018-19 **Dated :- 28/07/2018**

कार्यालय ज्ञाप

प्रेषित,

प्राचार्य / निदेशक,
समस्त सम्बद्ध बी0एड0 संस्थान / महाविद्यालय।

विषयः– बी0एड0 सत्र 2018–20 मे प्रवेश हेतु स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं के परीक्षा परिणाम विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा घोषित न किये जाने के सम्बन्ध मे ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है, कि श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की बी0ड0 सत्र 2018–20 की ऑनलाईन काउन्सिलिग के पाश्चात विभिन्न महाविद्यालय / संस्थानों की सीटों का आवंटन किया जा चुका है, बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण कतिपय छात्र–छात्राओं के स्नातक / स्नातकोत्तर परीक्षा का अन्तिम वर्ष (न्यूनतम अर्हता) का परीक्षाफल विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अभी तक घोषित नही किया गया है, जबकि श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा बी0एड0 सत्र 2018–20 की कॉमन प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की काउन्सिलिगं के पश्चात् प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि घोषित की जा चुकी है।

उपरोक्त सन्दर्भित परिस्थितियों के अनुसार जिन छात्र–छात्राओं की स्नातक / स्नातकोत्तर परीक्षाओं के अन्तिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित नही हुए है, और वे बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके है, के सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय द्वारा ब्यापक छात्रहित को देखते हुए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रवेश दिये जाने की सहमति प्रदान की गयी हैः–

1. प्रवेशार्थी को प्रवेश की तिथि से एक माह के अन्दर सम्बन्धित संस्थान / महाविद्यालय में अपनी न्यूनतम अर्हता उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा, तब तक प्रवेशार्थी का प्रवेश अस्थायी समझा जायेगा।
2. ऐसे अभ्यर्थियों से महाविद्यालय / संस्थान को स्वयं की जिम्मेदारी सम्बन्धी शपथ पत्र रू0 10 / – के स्टाम्प पेपर पर लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. न्यूनतम अर्हता (स्नातक तृतीय वर्ष, / स्नात्कोत्तर द्वितीय वर्ष) बी0एड0 प्रवेश परीक्षा के मानकों के अनुरूप न होने पर उसका प्रवेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. प्रवेश तिथि से (01) एक माह / 30 दिन के अन्दर प्रवेशार्थी को न्यूनतम अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थान / महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा, जिसे महाविद्यालय / संस्थान प्रवेश के पश्चात् विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

डॉ0 (दीपक भट्ट)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजि सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के सुलभ सूचनार्थ।
2– प्रभारी परीक्षा नियन्त्रक महोदय।
3– श्री कुलदीप सिंह नेगी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप को आज ही विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चि करे।
4– कार्यालय प्रति।

डॉ0(दीपक भट्ट)
कुलसचिव